an>

Title: Need to give constitutional status to the Other Backward Calles (OBC) Commission.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग राÂष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए जैसे अन्य राÂष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है। आज पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों और अन्य लोगों पर किसी तरह का अन्याय होता है तो उस मामले को अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को भेजा जाता है। आरक्षण के मामले में भी आयोग को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इस आयोग का अध्यक्ष कोई सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता। अनुसूची में दर्ज पिछड़े वर्ग की जातियों की अतिरिक्त जातियों को आरक्षण देने से इस वर्ग के हिस्से में कटौती करना है। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या लगभग 54 प्रतिशत है। उसी अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। देश के पिछड़े वर्गों की भावना को सम्मान दिया जाए। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग नाम दे दीजिए और एसोसिएट कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री गणेश सिंह, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री लखन लाल साहू, , डॉ. मनोज राजोरिया, श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, *12 श्री नाना पटोले, श्री मुकेश राजपूत, कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री लक्ष्मी नारायण यादव को श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।